न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : असलम मेहर आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 375/2018

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1– लक्ष्मण सिह पुत्र पने सिह 2– कान सिह पुत्र पने सिह 3– नीम्ब सिह पुत्र पने सिह 4– पाबु सिह पुत्र पने सिह 5– ढेलोकंवर पत्नी पने सिह 6– भंवरसिह पुत्र जवानसिह 7– रूगसिह पुत्र जवानसिह 8– रायसिह पुत्र जवानसिह जातियान राजपुत निवासीगण मुरटालागाला महाबार, तहसील बाडमेर जिला बाडमेर		1– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बाडमेर 2– ग्राम पंचायत मुरटालागाला जरिये सरपंच

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 17–7–2018 जो उपखण्ड अधिकारी बाडमेर द्वारा राजस्व आवेदन पत्र संख्या 349/2018 अनवान तहसीलदार बाडमेर बनाम सोनाराम मे पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1– श्री सिद्धार्थ परिहार अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2– राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 की ओर से।
3– श्री देवेन्द्र खत्री अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 2 की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 6–8–2019

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि राज्य सरकार के राजस्व (गुप–6) विभाग परिपत्र दिनांक 10–8–2016 के कम मे ऐसी निजी खातेदारो की भूमियां जिनमे मौके पर स्थाई रूप से चालू/कदीमी रास्ता चल रहा है परंतु उनका राजस्व रेकर्ड मे दर्ज नही है, को राजस्व रेकर्ड मे दर्ज करने हेतु चलाये गये अभियान के तहत तहसीलदार बाडमेर ने उनके पत्रांक/राज/18/1314 दिनांक 14–5–2018 के द्वारा मौजा मुरटालागाला के रास्तो के संबंध मे पस्ताव अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाडमेर के समक्ष प्रस्तुत करने पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 17–7–2018 के द्वारा तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर प्रस्ताव अनुसार मौजा मुरटालागाला के सलंग्न नक्शा मे हरा रंग मे दर्शाई अनुसार रास्तो की भूमि का राजस्व अभिलेख मे गै.मु.रास्ते के रूप मे दर्ज कर नक्शा तरमीम करने के आदेश पारित कर दिये । जिसके विरूद्ध वर्तमान अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है । इस न्यायालय मे अपील प्रस्तुत होने के पश्चात सरपंच ग्राम पंचायत मुरटाला गाला को इस अपील मे पक्षकार बनाये जाने बाबत एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सीपीसी. का पेश हुआ जिसमे बाद सुनवाई के ग्राम पंचायत मुरटालागाला को इस अपील मे रेस्पो0 संख्या 2 बनाया गया ।

पक्षकारो के अधिवक्ता उपस्थित । वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई ।

अपीलांट अधिवक्ता ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय मे तहसीलदार बाडमेर के प्रस्ताव पर प्रकरण दिनांक 28–5–18 को दर्ज होकर नोटिस जारी किये गये जिसमे तारीख पेशी 17–7–2019 को रखी गई तथा दिनांक 17–7–19 को ही खसरा नंबर 885 के अभिलिखत खातेदारान को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया, जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि खसरा नंबर 885 के किसी खातेदार ने किसी रास्ते के संबंध मे कोई आवेदन नही किया परंतु तहसीलदार ने मनमर्जी से प्रकरण बनाकर अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत किया तथा अधीनस्थ न्यायालय ने पक्षकारो को सुने बिना ही उनके सम्मुख प्रस्तुत प्रस्ताव के अनुरूप आदेश पारित कर दिया जो विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि किसी भी खातेदार को उसके खातेदारी अधिकारो से बिना सुनवाई का अवसर दिये वंचित नही किया जा सकता है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने बिना खातेदारो को सुनवाई का अवसर दिये, मनमर्जी से उनके खातेदारी की भूमि मे से रकबा 2.07 बीघा कम करते हुए भूमि की किस्म गै.मु. रास्ता दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया, जो विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि खसरा नंबर 885 मे मौके पर कोई ग्रेवल सडक बनी हुई नही है बल्कि पडौसी खसरा नंबर 2035/886 व 2401/886 मे सडक बनी हुइ है तथा इसी खसरे म से खातेदार ने एक आवासीय कॉलोनी काट रखी है जिसमे उसने सैकडो प्लॉट काट रखे है । वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि रास्ते संबंधी प्रावधान पहले से ही राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 मे दे रखे है इसलिए राज्य सरकार के राजस्व विभाग के जिस परिपत्र के आधार पर अपीलाधीन निर्णय पारित कर गै.मु.रास्ते का आदेश पारित किया है, वह विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की मूल भावना को नष्ट करने वाला आदेश है तथा यह भी कथन किया कि राज्य सरकार के प्रशासनिक स्तर से जारी किसी परिपत्र के जरिये किसी खातेदार को उसके खातेदारी अधिकारो से वंचित नही किया जा सकता है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है ।

अंत मे वकील अपीलांट ने उक्त अपील को स्वीकार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 17–7–2018 को अपास्त करने का निवेदन किया ।

उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय को विधिसम्मत बताते हुए कथन किया कि मौके पर ऐसे अनेको रास्ते जो चल रहे है परंतु उनका राजस्व रेकर्ड मे अंकन नही होने से रास्ते की समस्याओ के

समाधान के लिए राज्य सरकार द्वारा चलाये गये अभियान एवं राज्य सरकार द्वारा रास्तो के राजस्व रेकर्ड मे इन्द्राज करवाने हेतु जारी परिपत्र, दिशा निर्देशो के कम मे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार बाडमेर से प्रस्ताव प्राप्त होने पर अधीनस्थ न्यायालय ने प्रस्तावो के अनुरूप जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, वह विधिसम्मत होने से अपीलांट की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया है ।

रेस्पो0 संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रभावित खातेदार काश्तकारो को सुनकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 17–7–18 को पारित किया है इसलिए यह नही कहा जा सकता कि बिना खातेदारो की सुनवाई किये ही अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया गया हो ।

इसके अलावा रेस्पो0 संख्या 2 ने यह भी अवगत कराया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश मे वर्णित रास्ता जो ग्राम मुरटालागाला से झेरन्डी नाडी के बीच पुराना रास्ता है जो वर्ष 2008 से ग्राम पंचायत मुख्यालय से अन्य राजस्व ग्रामो को जोडता है तथा उक्त रास्ते से होकर ही आम नागरिक अन्य नजदीक गांव, आंगनबाडी, तथा स्वास्थ्य केन्द्र जाते है । वकील रेस्पो0 ने यह भी अवगत कराया कि उक्त रास्ते पर महानरेगा कार्यक्रम के तहत वर्ष 2008 मे मुरडिया रोड बनाई गई थी तथा बाद मे वर्ष 2017 मे उक्त रास्ते की मरम्मत कराई गई तथा हाल ही मे सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा पक्की डामर सडक का निर्माण करवा दिया गया है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश की पालना मे अपीलांटगण के खसरा नंबर 885 की भूमि मे से रकबा 2.07 बीघा भूमि गै.मु.रास्ते के रूप मे राजस्व रेकर्ड मे इन्द्राज हो चुकी है जिसका नया खसरा नंबर 2534/885 पडा है ।

वकील रेस्पो0 संख्या 2 ने यह भी कथन किया कि उक्त सार्वजनिक रास्ते का आम जन उपयोग एव उपभोग कर रहे है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्व रेकर्ड मे उक्त प्रस्तावित भूमि को रास्ते के रूप मे राजस्व रेकर्ड मे दर्ज करवाने का जो प्रस्ताव तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रेषित किया है, उसके अनुरूप आम जन की भावना के अनुरूप अधीनस्थ न्यायालय ने जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, उसमे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही होने से अपीलांट की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

अंत मे वकील अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय के विरूद्ध पारित किया गंया अपीलाधीन निर्णय विधिसम्मत होने से अपीलांट की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओ की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं अधीनस्थ न्यायालय एवं इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजात आदि का भी अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं इस न्यायालय हाजा की अपील पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन से यह प्रकट है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार बाडमेर द्वारा ऐसे सार्वजनिक रास्ते जो राजकीय भूमि/निजी खातेदारी की भूमि मे से मौके पर स्थाई रूप से चालू है परंतु उनका राजस्व अभिलेख मे इन्द्राज नही है, को राज्य सरकार के

परिपत्र दिनांक 10–8–16 की पालना मे प्रस्ताव प्रेषित करने पर अधीनस्थ न्यायालय से पक्षकारान को दिनांक 17–7–18 के नोटिस जारी किये गये जो बाद तामिल अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध है इसलिए यह नही कहा जा सकता कि पक्षकारो को नोटिस या सुनवाई का अवसर नही दिया गया हो ।

इसके अलावा रेस्पो0 संख्या 2 द्वारा इस अपील मे प्रस्तुत पक्षकार बनने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के साथ फार्म नंबर 3 के सलंग्न जो दस्तावेजात पेश किये है जिनके अवलोकन से यह प्रकट है कि ग्राम मुरटालागाला से झेरन्डी नाडी के बीच वर्ष 2008 से ग्राम पंचायत मुख्यालय से अन्य राजस्व ग्रामो को जोडने के लिए महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत ग्रेवल सडक का निर्माण पंचायत समिति बाडमेर द्वारा करवाया गया था तथा बाद मे वर्ष 2017 मे उक्त रास्ते की मरम्मत कराई गई तथा उसके बाद सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा पक्की डामर सडक का निर्माण गत वर्ष करवा दिया गया है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश की पालना मे अपीलांटगण के खसरा नंबर 885 की भूमि मे से रकबा 2.07 बीघा भूमि गै.मु.रास्ते के रूप मे राजस्व रेकर्ड मे इन्द्राज हो चुकी है जिसका नया खसरा नंबर 2534/885 पडा है ।

उपरोक्त स्थिति अनुसार अपीलांट द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील सारहीन होने से खारीज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाडमेर द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन निर्णय दिनांक 17–7–18 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 6–8–2019 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(असलम मेहर)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर